न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रणव सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 187/2021

उनवान

1 लेम्बा पिता कालिया उम्र 70 वर्ष निवासी सुजाजी का गडा पटवार हल्का खोडन तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रार्थी।

बनाम

1. गांगजी पिता श्री रामा जाति भील निवासी सुजाजी का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।
2. पंकज पिता विठला जाति भील निवासी सुजाजी का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. तहसीलदार तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेश (माही परियोजना के सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय), नियम 1984

निर्णय

दिनांकः 15.12.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का गांव सुजाजी का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) में खाता संख्या 368 नया 316 पुराना के आराजी नम्बर 3473 रकबा 0.29 हे. और 3474 रकबा 0.21 हे. पर विगत करीब 100 वर्षो से काबीज होकर पैतृक समय से कब्जा होकर प्रार्थी उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है एवं उक्त भूमि के सर्वे नम्बर 3473 व 3474 पर प्रार्थी का कब्जा होकर कृषि करता चला आ रहा है। प्रार्थी लगातार उक्त जमीन पर काबीज होकर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण का उक्त दोनो खसरा नम्बरानो पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है व न ही कभी उक्त जमीन पर आये है। उक्त जमीन पर प्रार्थी बरसो से काश्त कर फसल कमा रहा है तथा मौके पर स्थित 2 नहर जो कि उक्त खसरा नम्बरानो के उपर से गुजर रही है। अप्रार्थीगण कभी भी नहर के इस तरफ नही आये है। अप्रार्थीगणो का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनो खसरा नम्बरानो पर बरसो पुराना कब्जा होकर काश्त करते आ रहा है। अप्रार्थीगण ने अपना कब्जा बताकर अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवा लिया है, जो गलत है। अप्रार्थीगणों ने अपना कब्जाकाश्त बताकर सरकारी कर्मचारियो की मिली भगतकर अपने नाम करवा लिया है जबकि वादी द्वारा उक्त जमीन पर कब्जा काश्त किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 02 को खातेदार विटला की मृत्यु हो जाने के कारण पंकज को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की पैतृक समय से कब्जे शुदा उक्त आराजी की भूमि पर प्रार्थी का पैतृक समय से कब्जा होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु अप्रार्थी नम्बर 01 व 2 ने फर्जी तरीके से राज[illegible]रियो से मिलकर अपने नाम आवंटन करवा लिया। जबकि उक्त भूमि मौके पर [illegible] 1 व 2 का कोई हक व अधिकार और स्वामित्व नही है पर[illegible] अपने नाम आवंटित करवा ली है । जो आवंटन विधि विरूद्ध हो[illegible] 1 व 2 द्वारा [illegible] भूमि को फर्जी तरीके से बिना अधिकार के अपने नाम [illegible]न करवा लिया है जो गल[illegible] वस्तुस्थिति यह है कि खसरा नम्बर 3473 और 3474 भूमि पर प्रार्थी का बरसो पुराना कब्जा है व प्रार्थी उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी काबीज है व अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 का कभी भी मौके पर कब्जा नही रहा है एवं न ही उक्त भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आस पास अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 की कोई भूमि नही है इसके बावजूद भी अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 ने अपने प्रभाव व सम्पर्क का गलत लाभ उठाकर प्रार्थी की जानकारी के बिना उक्त भूमि को गलत तथ्यों के आधार पर राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम आवंटन करवा लिया है जो काबील निरस्ती है। यह कि अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 सद्‌भावी कृषक नही है न कभी उसने काश्त की है। इसलिये भी आवंटन काबील निरस्ती के है । अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 ने आवंटन के बाद न तो कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है एवं उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है। जिस कारण उक्त आवंटन काबील खारजी के है । अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 को कोई अधिकार नही है कि वह प्रार्थी की उक्त भूमि को बिना किसी कारण या सुचना या अधिकार के अन्य व्यक्तियो के नाम आवंटन कर दे, न ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिस कारण माही एलोटमेन्ट संख्या 15 (5) (4) में "If it is descovered at any time that any information submitted by any applicant is false to cultivate the land personally the entire land allotted may be resumed by the alloting authority with out payment of comensation-" जो कि अप्रार्थी के नाम आवंटन हुआ है काबील निरस्ती के है एवं इसी धारा मे यह भी वर्णित है कि कोई गलत सूचना दी गई हो तो आवंटन खारिज किया जा सकता है। जिस कारण भी अप्रार्थी का आवंटन काबील निरस्ती है । धारा 13 (B) मे यह वर्णित किया गया है कि "An allottee shall be bound to cultivate whole of the allotted land in two years- On his fairlure to fulfil this condition] the allottment of land shall be liable to cancellation by the allottiong authority- रेवेन्यु रेकार्ड में यह भूमि मगरी अंकित है एवं मगरी की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवंटन वर्जित होने पर भी सही मायने में आवंटन अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। जिस कारण भी अप्रार्थी का आवंटन काबील निरस्ती है। अप्रार्थी ने आवंटन दिनांक के बाद न तो आवंटित खसरा नम्बर का कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है व उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है, जिस कारण अप्रार्थी के नाम से किया गया उक्त आवंटन काबील निरस्ती है। प्रार्थी को उक्त आवंटन के सम्बन्ध में [illegible] कि पूर्व जानकारी हुई, खसरा नम्बर 3473 रकबा 0.29 हेक्टर एवं 3474 रकबा 0[illegible] हेक्टर ग्राम सुजाजी का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) की भुमि का [illegible] निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 17 माही कॉलनाईजेशन एक्ट [illegible] हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह राव अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब पेश कर कथन किया कि खाता संख्या 668 नया, पुराना 316 के आराजी संख्या 3473 रकबा 0.29 हैक्टर, 3474 रकबा 0.21 हैक्टर जिस पर अप्रार्थीगण उनके पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं जिस पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा उक्त दोनों सर्वे नम्बर पर प्रतिवादीगण काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। नहर के पास में सर्वे नम्बर 4012 जो कि अप्रार्थीगण का पैतृक खेत है एवं अप्रार्थीगण के घर बने हुवे हैं। अप्रार्थीगण उक्त दोनों खसरा की पी–14 पैनल्टी सन् 1993 से लगातार भरता आ रहा है, जिसकी रसीदें अप्रार्थीगण के पास सुरक्षित है तथा तहसील कार्यालय द्वारा आरक्षित करवाने की पैनल्टी 26,250/– अप्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय में जमा करवाई है। इसके बाद प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। उक्त दोनों सर्वे नम्बर की भूमि प्रार्थी की पैतृक नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण की पैतृक है। वादी मुल रूप से उम्बाडा गांव का निवासी है और उसकी भुआ के वहां आकर गौद रहा है जिस कारण उक्त खसरा नम्बर की भूमि अप्रार्थीगण पैतृक है तथा इसका वह वर्षो से उपयोग व उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

करते आ रहे हैं। जबकि अप्रार्थीगण ने पैनेल्टी भरकर अपने नाम आवंटीत करवाई है। खाता संख्या 668 नया, पुराना 316 के आराजी संख्या 3473 रकबा 0.29 हैक्टर, 3474 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम सुजाजी का गडा का होकर जिसका अप्रार्थीगण सन् 1993 से पैनल्टी भर अपने नाम आवंटन करवाया है। तथा प्रार्थी गांव उम्बाडा का होकर जोर जबरदस्ती से अप्रार्थीगण की भूमि को हडपना चाहता है तथा उसके नाम करना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा कभी भी उक्त दोनों खसरों पर कब्जा नहीं रहा और ना ही कभी कृषि कार्य करने आया है । जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाने का निवेदन किया।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि नियमन आदेश क्रमांक 5606 दिनांक 27.12.2001 में सर्वे नं. 3473 रकबा 0.29 हे, सर्वे नम्बर 3474 रकबा 0.21 हे., सर्वे नम्बर 4012 रकबा 0.62 हे. कुल रकबा 1.12 हे नियमन होकर ना.सं. 160. दिनांक 31.7.2002 स्वीकृत होकर रामा पिता नानजी भील सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ। उक्त नियमन गैर खातेदार भूमि के खातेदार रामा की फोत होने से उनके वारिसान गांगजी पिता रामा धापु पत्नि स्व. विठला, पंकज पिता विठला भील के नाम खाता सं. 368 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि गैर खातेदारी में सर्वे नम्बर 3473 रकबा 0.29 व 3474 रकबा 0.21 हे. भूमि विवादित होकर किसी भी प्रकार का कब्जा व कृषि काश्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। उक्त भूमि पर विवाद होने से पिछले 3 वर्ष से खाली पड़ी हुई है। वर्तमान में उक्त भूमि पर सूखी घास, कंटीली झाड़िया खड़ी हुई है और प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो के द्वारा पूर्व में कृषि किए जाने का दावा किया जा रहा है। वर्तमान मे उक्त विवादित भूमि राजस्व ग्राम सुजाजी का गड़ा के खाता स. 368 खातेदार गांगजी पिता रामा, धापु पत्नि स्व. विठला, पंकज पिता विठला भील सा. देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड होना बताते हुए जांच रिपोर्ट मय पटवारी रिपोर्ट, मौका पर्चा व जमाबंदी संवत 2075 से 2079 पेशी की गई।

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की धारा 20 काश्तकारों के लिए अतिरिक्त प्रसंविदायें :– यदि अनुदान कृषि प्रयोजन के रूप में हो, तो अनुदानग्रहीता, चाहे गैर– खातेदारी काश्तकारी के रूप में या खातेदारी अधिकारों के प्रदान ... निम्नलिखित अतिरिक्त बाध्यताओं से आबद्ध होगा तथा रहेगा और उनके ... तथा पालन करने के लिए एक प्रसंविदा किया हुआ होना समझा जायेगा :–

(1) भूमि की क्षति – भूमि का इस रूप में उपयोग, काश्त या प्रबन्ध न करना जिससे कि वह कृषि प्रयोजन के अनुपयुक्त हो जाये।

(2) अनुदान के प्रारम्भ की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अनुदान के कृषि योग्य क्षेत्र एक तिहाई भाग को काश्त के अधीन लाना तथा उसके बाद सदैव आधे क्षेत्र को काश्त के अधीन रखना :

[2][परंतु सभी प्रकार के नये आवंटी, जैसे भूतपूर्व जागीरदार, भूमिहीन काश्तकार, भूमिपूर्व सैनिक, निष्कासित मुसलमान, ग्राम पंचायतें, निर्योग्य भूतपूर्व सैनिक, तथा भूतपूर्व प्रतिरक्षाकर्मियों के आश्रित, राजनैतिक पीड़ित, शौर्य पुरस्कार धारक, भाखड़ा (पंजाब) के घोषित भूमिहीन काश्तकार, विस्थापित कृषक या बहिष्कृत किए गए व्यक्ति, गाडोलिया लोहार एवं आंवटियों के समस्त अन्य विशेष प्रवर्ग, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियत मूल्य पर उपनिवेश में भूमि आवंटित की जा चुकी है या आंवटित की जानी है, कब्जा सौंपे जाने की तिथि के दो वर्ष के भीतर आवंटित की गई समस्त भूमि को अधिभोग में लेने और उस पर काश्त करने के लिए आबद्ध होंगे। यदि दो वर्ष के भीतर भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटी को भूमि को काश्त के अधीन लाने के लिए एक सूचना जारी की जायेगी और तब भी यदि भूमि पर कलक्टर के समाधान स्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और भूमि किसी प्रतिकर का संदाय किए बिना राज्य सरकार को पुनर्ग्रहित हो जाएगी :

राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 के नियम :–

13 (ख) आवंटी सम्पूर्ण आवंटी भूमि को दो वर्ष के भीतर काश्त करने के लिए आबद्ध होगा। इस शर्त को पूर्ण करने में उसके विफल रहने पर भूमि का आवंटन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और आवंटन के रद्दकरण पर ऐसी भूमि विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार को वापस हो जायेगी तथा आवंटी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

15 (4) (iv) यदि किसी समय यह प्रकट हो कि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई सूचना असत्य है या कोई आवंटी भूमि पर व्यक्तिगत रूप से काश्त करने में विफल रहा है, तो आवंटित सम्पूर्ण भूमि प्रतिकर का संदाय किये बिना आवंटन प्राधिकारी द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा सकेगी।

17. आवंटन का रद्दकरण :– (1) यदि किसी समय यह प्रकट हो कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का कोई आवंटन, आवंटी द्वारा पेश किये गये आवेदन में या किसी अन्य दस्तावेज में तथ्यों के गलत कथन पर हुआ है, तो आवंटन प्राधिकारी, ऐसे आवंटन को रद्द करने का आदेश दे सकेगा और किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि में पुनः प्रवेश करने तथा उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा :

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व संलग्न दस्तावेजो तथा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व संलग्न दस्तावेजो, भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को कब्जे के आधार नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का नियमन किया गया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार/दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर अप्रार्थीगण का नियमन खारीज किया जाय। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.10 2025 को सरे इजराय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Scanned with OKEN Scanner